उत्तर प्रदेश सरकार ने कयिा जेल में बंद बंदियों और सद्धिदोष कैदियों का भत्ता दोगुना

चर्चा में क्यों?

8 अगस्त, 2023 को उत्तर प्रदेश कारागार वभिाग के संयुक्त सचवि शविगोपाल सहि ने शासनादेश जारी करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने जेलों में बंदियों व सद्धिदोष कैदियों का श्रम के बदले मलिने वाला भत्ता बढ़ा दयिा है।

प्रमुख बदि

- प्रदेश के कारागार में नरिुद्ध कुशल, अर्धकुशल और अकुशल बंदियों को अभी 40 रुपए, 30 रुपए और 25 रुपए दैनकि भत्ता मलिता है। कैबनिेट ने अब यह राशि 81 रुपए, 60 रुपए और 50 रुपए कर दी है।
- वर्ष 2011 के बाद अब यह राशि महँगाई को देखते हुए बढ़ाई गई है।
- सद्धिदोष बंदी की स्थिति में पारश्रिमकि में 15 प्रतशित पीड़ति प्रतकिर कटौती पूर्व की भाँति की जाती रहेगी।
- यह दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं।
- यह पारश्रिमकि की दरें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 27 सतिंबर, 2022 के नर्णिय के परप्रिेक्ष्य में लागू की गई हैं।

//

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/uttar-pradesh-government-doubled-the-allowance-of-jailed-prisoners-and-convicted-prisoners